

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
गोपीनाथ मार्ग, दरबार स्कूल परिसर, जयपुर

क्रमांक प.9(13)भण्डार/97/2019-20/

दिनांक:-

निदेशक
जन संपर्क निदेशालय
जयपुर।

विषय:-नीलामी सूचना प्रकाशित करवाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि रोजगार सेवा निदेशालय जयपुर के अनुपयोगी/नकारा कम्प्यूटरर्स हा डेवेयर (मॉनीटर/सी.पी.यू./प्रिन्टर/यू.पी.एस/व अन्य सामान) की नीलामी दिनांक 09.12.2022 को किया जाना निर्धारित किया गया है। पत्र के साथ संलग्न नीलामी विज्ञप्ति राज्य स्तरीय एक दैनिक समाचार पत्र में एवं आपके विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाई जानी है।

अतः कृपया उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 14.09.2022 से पूर्व एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
संलग्न:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

—sd—

उप निदेशक (ए.सी.पी)
निदेशक

क्रमांक प.9(13)भण्डार/97/2019-20/18603

दिनांक:- 3-11-22

✓ प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु संलग्न कर प्रस्तुत है।

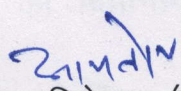
डा.प.मे
उप निदेशक (ए.सी.पी)

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
गोपीनाथ मार्ग, दरबार स्कूल परिसर, जयपुर
क्रमांक प.9(13)भण्डार/97/ 19-20/

जयपुर

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशालय रोजगार विभाग, जयपुर इस कार्यालय के अनुपयोगी/नकारा कम्प्यूटरर्स हार्डवेयर (मॉनीटर/सी.पी.यू./प्रिन्टर/यू.पी.एस/व अन्य सामान) जिसकी अनुमानित पुस्तक मूल्य राशि 18,88,734/- (अक्षरे अठारहा लाख अठ्यासी हजार सात सौ चौतिस मात्र) है जिसकी नीलामी दिनांक 09.12.2022 को दोपहर 3.00 बजे कार्यालय परिसर में की जावेगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म निर्धारित दिनांक एवं समय पर निदेशालय परिसर में उपस्थित होकर बोली लगा सकते हैं, बोली दाता को अमानत राशि के रूप में राशि रु. 10,000/-रु. (अक्षरे दस हजार रु. मात्र) नीलामी से पूर्व 2.30 बजे तक जमा कराने होंगे 2.30 पी.एम. के पश्चात् अमानत राशि स्वीकार नहीं की जावेगी। अमानत राशि जमा नहीं कराने वाले व्यक्ति/फर्म नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे, नीलामी से संबंधित नियम एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में भण्डार पाल के पास अवलोकन किया जा सकता है। सामान जहां है जैसा है के आधार पर नीलामी किया जायेगा। नीलाम किये जाने वाले सामान का अवलोकन कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकेगा। सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के पश्चात् बोली राशि की एक चौथाई राशि तुरन्त जमा करानी होगी एवं शेष राशि तीन दिवस में जमा कराकर सामान उठाना होगा। संपूर्ण राशि पर नियमानुसार देय GST/अन्य कर अतिरिक्त जमा कराना। शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर समस्त जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। नीलामी समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। समिति को बिना कारण बताए नीलामी रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।


उप निदेशक (ए.सी.पी.)
आहरण एवं वितरण अधिकारी